न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

ोठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
ाजस्व वाद संख्या : **35/2022**
GCMS NO. : **2022/64**

–: प्रार्थीया :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. जानकी देवी पत्नी चेलाराम
   जाति रेगर निवासी रेगरो का
   बास जैतारण तहसील जैतारण,
   जिला– पाली राजस्थान।

1. किशनलाल पुत्र भंवरूराम
2. भींयाराम पुत्र भंवरूराम
3. सोहनी पत्नी भंवरूराम
4. श्रीराम पुत्र पन्नालाल
5. रतनलाल पुत्र जैरूपराम जातियान रेगर निवासी मुण्डावा तहसील जैतारण जिला पाली।
6. तहसीलदार साहब जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पंत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 **तारीख रजू:–23.02.2022**

उपस्थितः–

1. श्री नितेश चौहान, श्री चेतनप्रकाश, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–30/08/2022**

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा मुण्डावा पटवार हल्का घोड़ावड़ तहसील जैतारण में प्रार्थीया की कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 6/293 रकबा 0.8337 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई हैं। जिसकी प्रार्थीया एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज उपयोग उपभोग काश्त करती चली आ रही है। नकल नक्शा व जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के नाप चौप एवं सीमा विवाद करने बाबत् प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार निवेदन किया एवं प्रार्थना पत्र भी पेश किया लेकिन अप्रार्थीगण एवं रेवेन्यू अधिकारियो द्वारा आज दिन तक किसी प्रकार की कार्यवाही नही की तथा न ही पटवारी द्वारा प्रार्थीया की भ्झूमि का नापचौप किया जाकर सीमाज्ञान किया गया। जिसके कारण आये दिन पड़ौसी खातेदार प्रार्थीया की मेड़बंदी बाड़ आदि को बिखेर देते है एवं सीमा विवाद करते है। इस प्रकार से प्रार्थीया को अनेक प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। पड़ौसी खातेदार इस बात का नाजायज फायदा उठाकर सीमाज्ञान एवं सीमा विवाद की बात को लेकर विवाद करते है व तंग व परेशान करते है तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करते है। जिससे मौके पर विवाद होता है एवं पुलिस कार्यवाहीयां होती है। तथा इस सीमा विवाद को लेकर भविष्य में भी विवाद की संभावना होने से इन तमाम परिस्थितियो में प्रार्थीया के पास अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। इसलिए ने परिस्थितियो के कारण प्रार्थीया की खसरान् भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी, ारबंदी किया जाना न्यायतन जरूरी है। जिससे सीमा विवाद हमेशा हमेशा के लिए व्रत्म हो जायेगा तथा प्रार्थीया को किसी प्रकार की समस्याओ का सामना नही करना पड़े। तथा अपने जायज हक अधिकारो से वंचित न होना पड़े। दिनांक 25.09.2021 को अप्रार्थी व पटवारी महोदय से निवेदन करने एवं प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय से आदेश करवाने के कथन किया, इस कारण मौके पर विवाद होने से सीमा विवाद उत्पन्न हुआ जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से श्रीमान के समक्ष पेश है। मौके पर प्रार्थीया की भूमि का बाद नाप चौप के सीमाकंन अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी व नेखमबंदी करवाई जाने का आदेश प्रदान करावें व अप्रार्थीगण के इसमें सहमत नहीं होने एवं विवाद होने की सूरत में जरिये पुलिस इम्दाद इसकी पालना करवायी जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 04 व 05 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 04 व 05 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के बारे में अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नही है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में आधारहीन तथ्य अंकित किए है। प्रार्थीया की खसरा संख्या 6/293 रकबा 0.8337 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में तरमीमशुदा जमीन है जिसके चारो ओर पहले से ही पत्थरगढी व माठ की हुई है। खसरा संख्या 6/293 के पूर्वी दिशा में खसरा संख्या 6/294 रकबा 0.7608 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। दोनो खसरो की जमीन के बीचं में वक्त सेटलमेंट के समय से माठ कायम की हुई है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर प्रार्थीया व अप्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीया के पास खसरा संख्या 6/293 की पुरी जमीन उसके कब्जे में है तथा खसरा संख्या 6/294 की कृषि भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे में है। जिस पर वक्त सेटलमेंट के समय से अप्रार्थीगण व इसके पूर्वज उनके पिता, परपिता काश्त करते आ रहे है। जिस प्रकार प्रार्थीया के हक व हिस्से की जमीन खसरा संख्या 6/293 के चारो ओर पुरानी माठ कायम की हुई है। उसी प्रकार अप्रार्थीगणो के कब्जे काश्त की जमीन के चारो ओर भी पुरानी माठ कायम की हुई है। और उसी प्रकार अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के चारो ओर पुरानी माठ कायम की हुई है ओर इसी माठ के अनुसार खसरा संख्या 6/293 व 6/294 के जमीन की राजस्व रेकर्ड में तरमीम हुई है। खसरा संख्या 6/293 की कृषि भूमि के साथ अप्रार्थीगण के काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 6/294 की सीमाओ का भी नापचौप कर पत्थरगढी यिा जाना कानूनन आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
उदंत भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

हमने पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुण्डावा पटवार हल्का घोडावड तहसील जैतारण स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 6/293 रकबा 0.8337 हैक्टर प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है, जिसकी प्रार्थीया एक मात्र खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त उपभोग उपयोग करती चली आ रही है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की भूमि मौके पर अलग अलग व नक्शे में तरमीमशुदा है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के नाप व सीमा को लेकर मौके पर विवाद करते है तथा सीमाज्ञान करवाने से आनाकानी करते है। अतः प्रार्थीया व अप्रार्थी की आराजीयात् का मौके पर नापचौप कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी व मेकमबंदी का आदेश किया जावे।

2. अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 04 व 05 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि खसरा संख्या 6/293 के पूर्वी दिशा में खसरा संख्या 6/294 रकबा 0.7608 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। दोनो खसरो की जमीन के बीच में वक्त सेटलमेंट के समय से माठ कायम की हुई है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर प्रार्थीया व अप्रार्थीगण काबिज है। जिस प्रकार प्रार्थीया के हक व हिस्से की जमीन खसरा संख्या 6/293 के चारो ओर पुरानी माठ कायम की हुई है। उसी प्रकार अप्रार्थीगणो के कब्जे काश्त की जमीन के चारो ओर भी पुरानी माठ कायम की हुई है। ओर इसी माठ के अनुसार खसरा संख्या 6/293 व 6/294 के जमीन की राजस्व रेकर्ड में तरमीम हुई है। खसरा संख्या 6/293 की कृषि भूमि के साथ अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 6/294 की सीमाओ का भी नापचौप कर पत्थरगढी यिा जाना कानूनन आवश्यक है।

3. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख यथा जमाबंदी एवं खसरा नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 6/293 रकबा 0.8387 हैक्टर भूमि में प्रार्थीया जानकी देवी पत्नी चेलाराम खातेदार है तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा सीमांकन की कोई कार्यवाही नहीं करवाई गई है तथा बिना सीमांकन करवाये सीधे ही धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि उचित नहीं है। साथ ही प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में जिन अप्रार्थीगण को पक्षकारान् बनाया गया है उनका खसरा नम्बरान् का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। तथा बिना सीमांकन के प्रार्थीया को किन खसरान् के खातेदारो के साथ सीमा विवाद है तथा उनसे किस प्रकार व क्या अनुतोष प्रार्थीया को चाहिए, यह स्थिति स्पष्ट नही होती है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 04 व 05 ने जवाब प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 6/294 की ओर से पेश किया गया है लेकिन खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

ख्या 6/294 में जैरूपराम पुत्र लछाराम जाति रेगर सा. देह खातेदार है जिसका
ाम पक्षकारान् के रूप में नही जोड़ा गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं
किया गया है कि जोत की सीमा को लेकर वास्तविक विवाद का विषय क्या है तथा
किन किन खातेदारान् के मध्य ऐसा विवाद विद्यमान है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा सभी तथ्य पूर्ण स्पष्टता के साथ न्यायालय हाजा के समक्ष स्पष्ट नहीं किये है, ऐसी दशा में किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना विधिसंगत नहीं रहेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित नही होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:49:24 IST
Reason: SelfAttested